न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कक्ष संख्या 3, गाजीपुर।

सेशन परीक्षण संख्या 01/2017,

उत्तर प्रदेश राज्य प्रति रामछपित यादव आदि,

मुकदमा अपराध संख्या– 121/2015,

धारा– 147, 148, 149, 307, 336, 323, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता,

थाना– करीमुद्दीनपुर, जनपद– गाजीपुर।

दिनांक : 25.08.2017 ई.

8ब प्रार्थनापत्र का निस्तारण :

8ब प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण रामछपित यादव, रामअशीष यादव, रामप्रवेश यादव उर्फ धनजी यादव, तेजबहादुर यादव, रामबहादुर यादव, राकेश यादव एवं रमेश यादव की ओर से धारा 147, 148, 149, 307, 336, 323, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि वे निर्दोष हैं। उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। उनके द्वारा कायम कराये गये क्रास केस से बचने के लिए फर्जी एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत मामला कायम कराया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्राथमिकी में अभियुक्तगण रमेश यादव एवं राकेश यादव नामजद नहीं हैं परन्तु पुलिस ने अपने मन से उनका नाम धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में लाकर अभियुक्त बनाया है। कथित घ ाायल मनोज यादव के चोट आख्या में कहीं पर भी प्राणघातक चोट होने का इन्द्राज नहीं है फिर भी धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पुलिस द्वारा वादी के पक्ष में दबाव में आकर स्वच्छ विवेचना नहीं की गयी है । अतः उन्हें उक्त आरोप से उन्मोचित किया जाए।

अभियोजन की ओर से कोई लिखित आपत्ति नहीं की गयी है। उसकी ओर से मौखिक रूप से यह कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। इस स्तर पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य ही देखा जाना आवश्यक होता है। अत : प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को विगत तिथि को सुना लिया है तथा पत्रावली का अवलोकन कर लिया है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि सभी मुल्जिमान में राकेश यादव एवं रमेश यादव का नाम एफ.आई.आर. में दर्ज नहीं है तथा पुलिस ने अपने मन से धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में लाकर उन्हें अभियुक्त बना दिया है।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि घायल मनोज के बताने के आधार पर सभी मुल्जिमानों के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, वह साक्ष्य का विषय है। माननीय न्यायालयों द्वारा सुस्थापित है कि आरोपपत्र

प्रेषित करते समय तथा Discharge Petition पर विचार करते समय न्यायालय को सिर्फ देखना होता है कि न्यायालय में प्रेषित पुलिस प्रपत्रों में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला आरोप विरचित हेतु बनता है अथवा नहीं। जैसा कि कर्नाटक राज्य प्रति एला.मुन्नीस्वामी (1977) 2 एस.सी. सी. 699 राजबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 (2) क्राइम्स 1, पलविन्दर सिंह बनाम दलविन्दर सिंह ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 887 (889), सोहन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 (2) जे.आई.सी. 541, 542 (इला.) के निर्णयों में व्यवस्था दी गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 336, 323, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। अतः 8ब प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8ब प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

आरोप विरचन हेतु दिनांक 14.09.2017 को पेश हो। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हों।

अपर सेशन न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 3,गाजीपुर।